Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : निगरानी/एलआर/2423/2004/उदयपुर

उदा पिता रकबा बागरिया निवासी एकलिंगपुरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. समस्त ग्रामवासियान एकलिंगपुरा जरिये वन प्रबन्ध एवं वन सुरक्षा समिति एकलिंगपुरा अध्यक्ष श्री गणेशलाल पिता काना डांगी निवासी एकलिंगपुरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदा गिर्वा जिला उदयपुर।

.....**अप्रार्थीगण**

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मुकेश जैन व श्री सी0पी0पाराशर, अधिवक्ता, प्रार्थी।
श्री जुगलकिशोर पंत, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 ।

निर्णय

दिनांकः–14–03–2018

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–2–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर उदयपुर के समक्ष समस्त ग्रामवासी एकलिंगपुरा जरिये वन प्रबन्ध एवं वन सुरक्षा समिति एकलिंगपुरा अध्यक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के

तहत प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा एकलिंगपुरा स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 3403 रकबा 2–2050 हैक्टर भूमि में से प्रार्थी को जरिये आवंटन आदेश दिनांक 20–7–1996 द्वारा रकबा 4 बीघा भूमि का किए गए आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25–2–2003 द्वारा आलोच्य प्रार्थना पत्र स्वीकार कर यह आज्ञा जारी की कि अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 20–7–1996 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को निर्देश दिए जाते है कि आवंटनशुदा भूमि को पुनः राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज की जावे। इसके साथ ही उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को भी यह निर्देशित किया कि अन्य उपलब्ध बिलानाम भूमि हो तो अपीलार्थी को आवंटन करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25–2–2004 द्वारा खारिज करते हुए तहत न्यायालय का निर्णय यथावत रखा। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आक्षेपित निर्णय दिनांक 25–2–2004 के विरूद्ध प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस निगरानी पर सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों को न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विरूद्ध होने से निरस्तनीय बताया है। उनका कथन है कि आवंटित रकबे पर अपीलार्थी ने काफी धनराशि व्यय करके कृषि योग्य बनाया है तथा आवंटी इसी आराजी से अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। इसके अतिरिक्त आवंटी निर्धन, अनपढ तथा कानूनी की जानकारी के अभाव का सदस्य है। आगे बताया कि आलोच्य आवंटन काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत भूमि को माना जाकर आवंटन खारिज किया है जबकि भूमि वन विभाग की नहीं है। इसके अतिरिक्त आवंटित रकबे पर आवंटी ने कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा भूमि की सनद भी आवंटी के पक्ष में जारी की गई है। उन्होंने तर्क

दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत भावुकतावश एक गरीब आदमी के मूल अधिकारों को खत्म करने व उसे भीख मांगने को मजबूर करने हेतु प्रदान किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि आवंटी भीख मांग कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। उनका आगे तर्क है कि ग्रामवासियों ने धनाढय व्यक्तियों के सहयोग से द्वेष व दुर्भावनावंश आवंटन के विरूद्ध शिकायती पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने समग्र दस्तावेज को नजरन्दाज करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित कर भारी भूल की है। अन्त में उन्होंने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार आक्षेपित निर्णय को निरस्त करते हुए आवंटी के पक्ष में हुए आवंटन को बहाल रखे जाने की प्रार्थना की है।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तर्कसंगत, न्यायसंगत एवं विधि सम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप करने के ठोस आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। उनका कथन है कि विवादित रकबे पर वन विभाग का आधिपत्य चला आ रहा है तथा रकबे पर वृक्षारोपण ग्रामवासियों द्वारा किया जाता रहा है। आगे बताया कि आवंटित रकबे कृषि योग्य नहीं है तथा भूमि पर वन विकास हेतु पौधे लगवाये जाते रहे है। इसके अतिरिक्त मौके पर वृक्ष लगे हुए है तथा गांव के पशुओं तथा ग्रामवासियों के आने–जाने का रास्ता बना हुआ है। जिसके वर्षा का पानी एकत्र होता है। आवंटी द्वारा आवंटन के समय उपरोक्त तथ्यों को छिपाया गया है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित निर्णय विधिनुकूल होने से अहस्तक्षेपनीय है। अन्त में उन्होंने निगरानी निरस्त कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गंभीरता से मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन एवं अध्ययन किया।

7. प्रश्नगत निगरानी में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर विवादित आराजी खसरा

संख्या 3403 रकबा 2–2050 हैक्टर भूमि में से रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन प्रार्थी के पक्ष में आदेश दिनांक 20–7–1996 द्वारा किया गया है। उक्त आवंटन की पालना में आवंटी के पक्ष में गैरखातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 353 दिनांक 1–8–2001 तस्दीक किया गया है। उक्त आवंटन को निरस्त करने बाबत ग्रामवासियों द्वारा एक शिकायती पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) जिला कलक्टर उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25–2–2003 से खारिज करते हुए रकबे को पुनः राजस्व रेकार्ड में बिलानाम अंकित किए जाने की आज्ञा जारी की है। इसके साथ उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को यह भी निर्दिष्ट किया गया कि अन्य उपलब्ध बिलानाम भूमि हो तो आवंटी उदा को आवंटन करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे। उक्त निर्णय के विरूद्ध आवंटी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दी।

8. न्यायालय के समक्ष उपलब्ध पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवंटी को वादग्रस्त का आराजी वर्ष 1996 में आवंटित हुई थी। इसी भूमि के पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र पेश किया था। आवंटन पश्चात आवंटी के पक्ष में सनद जारी की गई है। कालान्तर में कब्जा सुपुर्दगी का मौका पर्चा रेकार्ड में उपलब्ध है। **रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 28–1–2003 में यह स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि वन विभाग को भूमि स्थानान्तरित होने से खसरा संख्या 3403 की शेष बिलानाम भूमि में से उदा बागरिया को कब्जा दिया गया है। जिससे मौके पर आवंटन के पश्चात से ही विवाद रहा है। समस्त ग्रामवासियान के नाम नाजायज कब्जा की कार्यवाही की गई है।** उक्त रिपोर्ट ये स्पष्ट से प्रदर्शित होता है कि समस्त ग्रामवासियों ने अनाधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर अपने कब्जे को बरकरार रखने के उद्देश्य से नियमों के अन्तर्गत की गयी आवंटी के पक्ष में की गयी आवंटन कार्यवाही के विरूद्ध द्वेषतापूर्ण तरीके से शिकायत के आधार पर आवंटन को निरस्त करना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

9. आवंटन के लगभग 21 वर्ष बाद तथा सनद जारी होने के 19 वर्ष बाद अप्रार्थी संख्या–1 ने जिला कलक्टर उदयपुर को प्रार्थी के पक्ष में किये

गये आवंटन को निरस्त करने हेतु शिकायत की, जिसमें ये बताया गया कि आराजी पर वन विकास हेतु वृक्षारोपण किया जाता रहा है तथा भूमि पर ग्रामवासियों व जानवरों हेतु रास्ता है। इस तथ्य को छिपा कर आवंटन प्राप्त किया है, अतः आवंटन निरस्त किया जाये। विद्वान जिला कलक्टर, ने अपने इस अभिमत के साथ कि आवंटित रकबे का वन विभाग के नाम हस्तान्तरण होने व ग्रामवासियों द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। अतः यह आवंटन तथ्यों को छिपा कर करने के आधार पर जिला कलक्टर के आदेश के द्वारा निरस्त किया गया है।

10. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिमत से यह स्पष्ट होता है कि आवंटन अधिकारी एवं अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की कार्यवाही किये बिना शिकायत को आधार मानकर पूरे प्रकरण का परीक्षण किये बिना आवंटन निरस्त किया है। आवंटन पश्चात् एवं सनद जारी होने के बाद दीर्घ समय तक प्रार्थी द्वारा मेहनत एवं धन व्यय कर आराजी को उपजाऊ किया है, जिसे मात्र शिकायत के आधार पर, वह भी पूरी सत्य नहीं। अतः जिला कलक्टर ने जो आवंटन निरस्त कर रकबा राजहित में रिज्यूम करने के आदेश दिये है, वह तथ्यों एवं रिकार्ड के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। आज की स्थिति में उक्त आवंटन को करीब 21 वर्ष का लम्बा समय हो चुका है और यदि **इतने लम्बे समय उपरान्त आवंटन को निरस्त किया जाता है तो यह निश्चित रुप से आवंटी के हितों के प्रतिकूल होगा व (ट्रैवैस्टी आफ जस्टिस) होगा।**

11. हमने आवंटन नियम 1957 व 1970 का बारीकी से अध्ययन किया। उक्त नियमों में भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में मात्र यही कहा गया है कि राजस्थान का एक ऐसा निवासी जो सदभावी कृषक या कृषि श्रमिक है और भूमि पर स्वयं काश्त करता है या काश्त करेगा और उसका जीवीकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि से सम्बन्धित या कृषि अन्य व्यवसाय हो और ऐसा व्यक्ति राजस्थान में निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल से अधिक भूमि नहीं रखता हो, उसे भूमिहीन कृषक माना गया है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर निरन्तर काश्त करने से अपने आप में साबित हो जाता है और राज्य सरकार ने नियमों के अनुसार काश्त करने के आधार

पर आवंटी को गैर खातेदारी अधिकार दिये और आवंटन के 10 वर्ष पश्चात स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात ऐसी भूमि पर आवंटन नियमों के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती एवं ऐसी भूमियां आवंटन नियमों के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाती है एवं इन भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालयों ने आवंटन नियमों के विपरीत क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश पारित किये है, जो प्रभाव शून्य है। आवंटी निर्धन, अनपढ तथा अशिक्षित होने के साथ ही भीख मांगने पर मजबूर होना प्रकट किए जाने के कारण उसके पक्ष में किए गए आवंटन के लगभग 21 वर्ष बाद तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्ययालय ने आरआरडी 2001 पेज 133 में एआईआर 1994 एससी 1128 की पालना करते हुये जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, उसको मध्य नजर रखते हुये यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत निगरानी में सारवान तत्व मौजूद होने के कारण स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्ययालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

13. परिणामतः निगरानी स्वीकार की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-2-2004 तथा जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-2-2003 अपास्त किए जाते है। आवंटी उदा के पक्ष में जारी किया गया आवंटन आदेश दिनांक 20-7-1996 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(द्वारका लाल मीणा)
सदस्य